न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– **यशपाल आहूजा** आर.ए.एस.

उनवान :– **राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 200/2015**

1. श्योदत्त
2. राजेन्द्र

} पुत्रान लिछमन जाति जाट निवासी मर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

3. विजयश्री पत्नि स्व. कृष्णलाल पुत्र लिछमनराम जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

4. गोविन्दराम
5. जन्तरपाल

} पुत्रान स्व. कृष्णलाल पुत्र लिछमनराम जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

6. ओम प्रकाश
7. कृष्णलाल

} पुत्रान ख्यालीराम जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

8. स्वरूपसिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. इन्द्राज
2. नेतराम

} पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

3. विद्यादेवी
4. ललीदेवी
5. गेपीदेवी
6. गिरदावरीदेवी
7. कमला

} पुत्रीयान रावताराम जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

8. मामकौरी पत्नी रावताराम जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. सरोज पत्नी अग्रसेन जाति जाट निवासी 20 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. स्टेट आफॅ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री कुलविन्द्र सिंह अधिवक्ता — प्रार्थीगण।
2. श्री राजकुमार नागपाल अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 2
3. अप्रार्थी संख्या 1, 3 ता 9 के विरूद्ध एक पक्षीय दिनाक 30.10.2015

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 17-4-17

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 की खातेदारी कृषि भूमि चक 12 एफ. बड़ा के 17/67 मुरब्बा नम्बर 28 में स्थित है। जमाबन्दी की नकल शामिल है। प्रार्थी संख्या 8 स्वरूपसिंह का रकबा

लगातार 2

की चक हाजा के खाता संख्या 95/78 मुरब्बा नम्बर 28 में स्थित है। जमाबन्दी की नकल शामिल है। प्रार्थी संख्या 6 औमप्रकाश का रकबा चक हाजा के खाता संख्या 9/37 मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 21 में स्थित है। जमाबन्दी की नकल शामिल है। तथा प्रार्थी संख्या 7 का रकबा चक हाजा के खाता संख्या 14/37 मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 22 में स्थित है जमाबन्दी की नकल शामिल है।

चक हाजा के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 25 के साथ मौके पर चालू रास्ता जो कि स्वीकृत शुद्धा होनें का पता चला है लगता है, मुरब्बा नम्बर 11 के साथ मुरब्बा नम्बर 10 लगता है। तथा मुरब्बा नम्बर 10 के नीचे दक्षिण दिशा में मुरब्बा नम्बर 28 स्थित है इस प्रकार प्रार्थीयान का रकबा मुरब्बा नम्बर 28 व 10 में पड़ता है उनको अपनें रकबा में आनें जानें के लिये मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 25 से 21 व मुरब्ब नम्बर 10 के किला नम्बर 25 से 21 तक रास्ता प्रचलित है जिससे होकर वह आ जा रहे है।

उपरोक्त रास्ता काफी पुराना चल रहा है। तथा इसके सम्बंध में कालान्तर में दिनलांक 17.01.2011 को एक लिखित भी की गई जिसकी नकल शामिल है।

मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 25 से 21 तथा 10 के किला नम्बर 25 से 22 तक का रकबा अप्रार्थीयान 1 ता 9 का उपरोक्त खातों के अनुसार दर्ज होनें से तथा अब उनके मन में गलत लालच आ जानें से वह रास्ता को बन्द करना चाहते है इसलिये प्रार्थीयान के लिये रास्ता स्वीकृत करवान आवश्यक हो गया है। प्रार्थी कृष्णलाल मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 22 व प्रार्थी औमप्रकाश मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 21 में रास्ता चालू रखनें के पक्ष में तथा शेष रास्ता मुरब्बा नम्बर 11, 10 जो अप्रार्थीयान 1 ता 9 के रकबा में चल रहा है। को स्वीकृत करवाना आवश्यक हो गया है। इस प्रकार प्रार्थीयान औमप्रकाश व कृष्णलाल की सहमति के साथ मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 25 से 21 व 10 के किला नम्बर 25 से 21 का प्रचिलत रास्ता स्वीकृत करना आवश्यक है। क्योकि उक्त प्रचलित रास्ता अरसा दराज से चल रहा है। अतः किसी प्रकार के विवाद का प्रश्न नहीं है। क्योंकि पहले से लिखित की हुई है अब केवल अप्रार्थीयान 1 ता 9 के मन में लालच आनें के कारण ही रास्ता स्वीकृत करवान जरूरी हो गया है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीयान के रकबा के लिये नहीं है।

अतः चक 12 एफ बड़ा के खाता संख्या 6/5 मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 23, 24, 25 खाता संख्या 6/5 मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21, 22 खाता संख्या 58/49 मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 22/2, 23, 24, 25 अप्रार्थीयान 1 ता 9 के रकबा में से एक – एक बिस्वा रास्ता तथा खाता संख्या 14/37 मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 22 प्रार्थी संख्या 7 कृष्णलाल के रकबा में से तथा खाता संख्या 9/37 मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1 प्रार्थी संख्या 6 के रकबा में से एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवानें का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट मंगवाई गई, तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण वर्तमान जमाबन्दी अनुसार 2066 से 2069 के खाता यंख्या 6 के मुरब्बा नम्बर 11, 12, 24 की 6.768 हैक्टर सरोज पत्नि उग्रसैन 1.518 हैक्टर साकिन 20 एल.एन.पी. कृष्णादेवी पत्नी नेतराम 1.517 हैक्टर, नेतराम 2.468 हैक्टर इन्द्राज 1.265 हैक्टर पुत्रान रावताराम खाता संख्या 40 के मुरब्बा नम्बर 11 में 1.265 हैक्टर नेतराम पुत्र रावताराम खाता संख्या 58 के मुरब्बा नम्बर 11 में 1.265 सरोज पत्नि उग्रसेन जाति जाट साकिन 20 एल.एन.पी. सभी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज है। शेष खाता 9 मुरब्बा नम्बर 10, 12, 13 की 2.386 हैक्टर नहरी औम प्रकाश पुत्र ख्यालीराम कौम जाट साकिन

लगातार 3

मिर्जेवाला (दोनो प्रार्थी के नाम से दर्ज रिकार्ड है। मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21 ता 24 में रास्ता की भूमि में केवल 5–5 फुट जगह है। पत्थर लाईन में 5 फुट की दुरी पर कन्टीली तार व बाग लगा है। खाते सम्बंधित सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है। उक्त मुरब्बा नम्बरों में पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं हुआ है। और न ही कोई प्रचलित रास्ता चल रहा है।

अप्रार्थी संख्या दो द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ अप्रार्थी द्वारा आदेशिका पर अंकन किया गया कि रास्ता मन्जूर कर दिया जावे तो कोई एतराज नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1, 3 ता 9 को विधिवत तामिल नहीं होनें पर अखबार में प्रकाशन करवाया गया कोई उपस्थित नहीं आनें पर दिनांक 30.10.2015 को अप्रार्थी संख्या 1, 3 ता 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण के सन्दर्भ में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण को रास्ता की भूमि के बदले में मुआवजा दिया जा चुका है, इस सम्बंध दिनांक 17.01.2011 को लिखित समझौता की प्रति भी पेश की गई प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि में जानें हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं होनें के कारण रास्ता स्वीकृत करवाया जाना आवश्यक है अतः रास्ता स्वीकृत किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा दौरानें बहस कथन किया कि उक्त रास्ता स्वीकृति मे कोई एतराज नहीं है। अतः रास्ता स्वीकृत किया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषण पाये जानें पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 12 एफ बड़ा के खाता संख्या 6/5 मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 23, 24, 25 खाता संख्या 6/5 मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21, 22 खाता संख्या 58/49 मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 22/2, 23, 24, 25 अप्रार्थीयान 1 ता 9 के रकबा में से एक – एक बिस्वा रास्ता तथा खाता संख्या 14/37 मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 22 प्रार्थी संख्या 7 कृष्णलाल के रकबा में से तथा खाता संख्या 9/37 मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1 प्रार्थी संख्या 6 के रकबा में से एक–एक बिस्वा रास्ता पत्थर लाईन पर स्वीकृत किया जाता है।

रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु समस्त काश्तकारान उपयोग करेगें। तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि उक्त स्वीकृत शुद्धा रास्ते की भूमि के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में प्रार्थीगण द्वारा जमा करवानें के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि को तहसीलदार अपनें स्तर से वितरण हेतु प्रार्थी/अप्रार्थी के राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सा अनुसार राशि का निर्धारण कर राशि का वितरण करना सुनिश्चित करेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 17-4-17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर